



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 21.03.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा रेक्ट्रीफाइड शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 लीटर रेक्ट्रीफाइड शराब एवं 550 ग्राम यूरिया बरामद ।

दिनांक 20.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी त्यौहारों एवं पंचायत चुनावों के शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की बरामदगी एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान खेड़की चैराहा ग्राम टोडा से 01 अभियुक्त को 09 लीटर रेक्ट्रीफाइड शराब एवं 550 ग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अनिल पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम टोड़ा थाना झिंझाना शामली जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 789/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0स0-18/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0स0 170/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0स0 377/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. रेक्ट्रीफाइड शराब 09 लीटर।
2. यूरिया 550 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री समयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह भाटी थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 ज्ञानेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 अमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



खाईबाडी करता एक गिरफ्तार, कब्जे से 530/- रुपये नकद, पर्चा सट्टा, पैस, गत्ता बरामद:-

दिनांक 20.03.2021 को समय 20.10 बजे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मौह शेखमैदान से खाईबाडी करते अभियुक्त अय्यूब पुत्र मंगता निवासी मौहल्ला मैमरान थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।